ज्ञाप संख्या–बी0/कोर्ट केस (उच्चतम न्या0)–06/2015–11592

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

# संकल्प

पटना, दिनांक–16 अक्टूबर, 2015

विषयः– **तेजाब हमले से संबंधित काण्ड में पीड़ितों को निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित मुआवजा भुगतान एवं काण्ड के अनुसंधान के अनुश्रवण हेतु अपनाई जाने वाली मानक कार्यवाही पद्धति (SOP-Standard Operating Procedure) का निर्धारण।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रि0) सं0–129/2006 लक्ष्मी बनाम भारत सरकार एवं अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) सं0–867/2013, परिवर्तन केन्द्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में तेजाब हमले के पीड़ितों को यथाशीघ्र निःशुल्क चिकित्सा, त्वरित मुआवजा भुगतान एवं कांडों के समयबद्ध अनुसंधान के अनुश्रवण के लिए मानक कार्यवाही पद्धति (SOP) की आवश्यकता महसूस की गई। इस आलोक में दिनांक–21.08.2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ विमर्शोपरान्त एक मानक कार्यवाही पद्धति (SOP) का निर्माण किया गया जिसका दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों का दायित्व होगा। मानक कार्यवाही पद्धति (SOP) निम्न प्रकार है :–

1. तेजाब हमले की घटना की सूचना मिलने अथवा काण्ड दर्ज होने के तीन दिन के भीतर संबंधित पुलिस अधीक्षक के स्तर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पूर्ण विवरण के साथ प्रतिवेदन भेजा जाएगा, जिसकी प्रति सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, एवं पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को भी दी जाएगी।
2. जिला विधिक प्राधिकार द्वारा पीड़ित को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 (Victim Compensation Scheme 2014) के तहत भुगतेय अधिकतम रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) मात्र में से रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) मात्र का भुगतान पुलिस से प्रारम्भिक सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा एवं यह अवधि किसी भी स्थिति में घटना की तिथि से 15 दिन से अधिक नहीं होगी।
3. स्कीम के तहत प्रति पीड़ित शेष अनुदान राशि अधिकतम 2.00 लाख (दो लाख रूपये) मात्र का भुगतान, प्रारम्भिक भुगतान के पश्चात् यथा संभव एक माह के भीतर कर दिया जाएगा एवं यह अवधि किसी भी स्थिति में घटना की तिथि से तीन माह से अधिक नहीं होगी तथा प्रथम भुगतान की तिथि से दो माह से अधिक नहीं होगी।
4. तेजाब हमले के पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग का दायित्व होगा। इसके अनुश्रवण हेतु स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को चिह्नित करेंगे एवं उनका नाम, पत्राचार का पता एवं दूरभाष गृह विभाग, पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों यथा– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को संसूचित करेंगे। पीड़ित की चिकित्सा से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत के निराकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी समन्वय करेंगे।
5. तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति का आघात प्रतिवेदन संबंधित चिकित्सक द्वारा 24 घण्टे के भीतर काण्ड के अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

कृ0पृ0उ0 .....

6. पीड़ित की चिकित्सा में लापरवाही अथवा आना–कानी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी जिम्मेवार दोषी चिकित्सक/कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदित करेंगे तथा उसके अंतिम फलाफल तक अनुश्रवण करेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प 839(14) दिनांक 13.07.2015 का अक्षरशः अनुपालन हो (प्रतिलिपि संलग्न)।

7. तेजाब हमले से संबंधित काण्ड का अनुसंधान 60 दिन के भीतर पूर्ण करते हुए अंतिम प्रपत्र समर्पित किया जाएगा। ऐसे सभी काण्डों को विशेष प्रतिवेदित काण्ड घोषित किया जाएगा तथा संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा काण्ड का पर्यवेक्षण यथा संभव सूचना प्राप्त होने के दिन ही किया जाएगा एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी समर्पित करने में 3 दिन से अधिक समय नहीं लिया जाएगा तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर से एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन–2 निर्गत किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक उनके स्तर से निर्गत किए जाने वाले पर्यवेक्षण टिप्पणी, प्रतिवेदन–2 प्रगति प्रतिवेदन एवं अंतिम प्रगति प्रतिवेदन में पीड़ित को दिए जाने वाले अनुदान तथा उनकी चिकित्सा के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी भी अंकित करेंगे। इस प्रक्रिया में निर्धारित समयावधि अथवा अन्य निर्देशों के पालन न होने की स्थिति में वस्तुस्थिति प्रतिवेदन से स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी तथा राज्य विधिक प्राधिकार के सचिव को भी अवगत कराएंगे।

8. काण्ड का अनुसंधान समाप्त होने पर उसके त्वरित विचारण हेतु अनुरोध पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से किया जाएगा तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

9. पुलिस मुख्यालय में तेजाब हमले से संबंधित काण्डों के अनुसंधान, पीड़ित की चिकित्सा, अनुदान भुगतान एवं त्वरित विचारण का अनुश्रवण पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग के स्तर से किया जाएगा। वे इसका प्रति काण्ड के आधार पर (as and when happens) अनुश्रवण करेंगे तथा तेजाब हमले की घटना प्रतिवेदित होने से लेकर अनुसंधान की समाप्ति तक अनुसंधान की स्थिति, पीड़ित की चिकित्सा तथा अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशि आदि बिन्दुओं पर नजर रखेंगे। प्रक्रिया में निर्धारित समयावधि एवं अन्य निर्देशों के समय पर अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तरदायी पदाधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, इसे सुनिश्चित करेंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारी उपर्युक्त प्रक्रिया का अक्षरशः एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को दी जाए।**
**अनुलग्नक– यथा उपर्युक्त।**

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

Jitendra 16.10.15

**(जितेन्द्र कुमार)**
**सरकार के विशेष सचिव**

15/10

*कृ0पृ0उ0 .....*

ज्ञापांक– बी0/कोर्ट केस (उच्चतम न्या0)–06/2015–..... पटना, दिनांक–...../2015

**प्रतिलिपि**–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– अधीक्षक/प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– सभी उपाधीक्षक, सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– बी0/कोर्ट केस (उच्चतम न्या0)–06/2015–..... पटना, दिनांक–...../2015

**प्रतिलिपि**– राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– बी0/कोर्ट केस (उच्चतम न्या0)–06/2015–11592 पटना, दिनांक–16-10-/2015

**प्रतिलिपि**– I.T, प्रबंधक, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

16.10.15
(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

15/10

सं0 सं0 – 14 / विविध–15 / 15

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

## संकल्प

विषय :– मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में।

वर्तमान में तेजाब हमलों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न जिलों, कसबों तथा गॉवों में व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर असमाजिक तत्वों द्वारा तेजाब फेंक कर लोगों का (विशेष कर महिलाओं / लड़कियों को) शरीर एवं चेहरा को जला दिया जाता है। कतिपय मामलों में तो उन पीड़ितों के ऑखों की रोशनी भी चली जाती है।

2. तेजाब हमला के पीड़ितों का शरीर एवं चेहरा जल जाने पर उनको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के उपरान्त प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी आवश्यकता पड़ती है एवं इसमें काफी खर्च भी आता है जिसे वहन करना उसके लिए दुष्कर होता है। विकृत अंग को पुनः बहाल करने के लिए उन्हें Plastic Surgeon के पास शल्य चिकित्सा हेतु बार–बार जाना पड़ता है। तेजाब हमलों के पीड़ित व्यक्ति का दुःख कम करने के लिए उनके प्लास्टिक सर्जरी कराने का सम्पूर्ण खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. (i) तेजाब हमले में पीड़ित व्यक्ति की सम्पूर्ण चिकित्सा (प्लास्टिक सर्जरी सहित) का सम्पूर्ण व्यय मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर वहन किया जायेगा। इसमें चिकित्सा पर व्यय राशि की कोई अधिकतम् सीमा नहीं होगी।

(ii) तेजाब हमलों के पीड़ित / पीड़िता द्वारा किसी भी नजदीकी चिकित्सा संस्थान / विशेषज्ञ चिकित्सक से चिकित्सा कराना अनिवार्य होता है। अतएव, इस मामले में चिकित्सा संस्थान को मान्यता प्राप्त होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(iii) इस संबंध में चिकित्सा करने वाले प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि यह मामला तेजाब हमले से पीड़ित का है तथा पीड़ित / पीड़िता मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रावधानित मुआवजा राशि प्राप्त करने योग्य है।

(iv) यह राशि सीधे संबंधित अस्पताल / चिकित्सा संस्थान को दी जाएगी।

(v) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए इस मामले में कोई वार्षिक आय संबंधी सीमा नहीं होगी।

(vi) संकल्प संख्या 752 (14) दिनांक 26.06.2015 में तेजाब हमलों के पीड़ितों को 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से प्रावधानित चिकित्सा सहायता की कंडिका 2 की उप कंडिका (xi) को इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

ह0 / –
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –  /स्वा0 पटना, दिनांक –2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 839 (14)  /स्वा0 पटना, दिनांक –2015 - 13-7-15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला एवं सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/उपर गुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः– महान्यायवादी, सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली /महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना,/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ।

13/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव।
13-7-15

d-rajesh-sankalp acid attack